तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	आ... की...
	से आज पेश हुई। वकील प्रार्थी ने जाहिर किया कि आदेश द्वारा सीमांकन व पत्थर गढ़ी का आदेश हो रखा है परन्तु अप्रार्थी तहसीलदार द्वारा मौके पर सीमांकन की जाकर गाडा की पत्थरगढ़ी करना शेष है जबकि पूर्व में आदेश हो रखा है आज तारीख पर मौजूद है। तलब कर पुनः कार्य का आदेश प्रदान करावें। तहसीलदार [illegible] के आदेश क्रमांक क्र. 18/ 2498 दिनांक 8.5.15 द्वारा राजस्व पटवारी सीमाज्ञान [illegible] मौके कार्य करने की दिनांक 1.5.15 [illegible] की है। वकील राजेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा [illegible] व [illegible] की की ओर से वकालतनामा व प्रार्थना पत्र दाखिल दिनांक 20.5.15 को प्रस्तुत किया। [illegible] पत्रावली राजस्व सीमाज्ञान मौके कार्य पर व वकील राजेन्द्र गुप्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु दिनांक 20.6.15 को पेश हो। SDO	
20.6.15	वकील प्रार्थी उप. वकील प्रार्थी ने जाहिर किया कि उक्त प्रकरण में [illegible] प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LRAct के तहत [illegible] मौजा [illegible] के स्थित खसरा नं. 1978/2, 1964, 1866/2 [illegible] कृषि भूमि पर आने जाने के रास्ते की भूमि खसरा [illegible] खसरा नं. 1849 रकबा 22.00 बीघा [illegible] एवं मौजा [illegible] खसरा नं. 1967 रकबा 22-06 बीघा [illegible] तथा [illegible] मौजा [illegible] I [illegible] रास्ते [illegible] में स्थित विवादित भूमि [illegible] खसरा नं. 1975/1, 933, 937, 1181, 1975 तथा 1976/1, की भूमि का मौके पर सीमांकन/ सीमाज्ञान करने का आदेश दिनांक 01/5/2015 को न्यायालय हाजा द्वारा किया गया था। उक्त आदेश की पालना हेतु न्यायालय ने तहसील को	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
जारी की गई थी। तहसीलदार लोहावट द्वारा बताया गया कि का सीमाज्ञान नहीं होने पर भू-प्रबन्ध विभाग जोधपुर की सर्वे टीम द्वारा सीमाज्ञान किया जाना है। सीमाज्ञान कर सीमाज्ञान रिपोर्ट न्यायालय को भिजवा दी गई। मौके पर पत्थरगढ़ी नहीं की गई है। तहसीलदार लोहावट को माकिफ सीमाज्ञान रिपोर्ट मौके पर पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित करावे। पत्रावली के दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा की गई दलीलों पर गौर किया गया। वादग्रस्त न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण सं. 33/2015 व 35/2015 अन्तर्गत [illegible] बनाम तहसीलदार लोहावट में दिनांक 07/4/15 को निर्णय पारित कर विवादित खसरा नम्बरात की भूमि का मौके पर नापजोख कर सीमांकन/सीमाज्ञान करने हेतु आदेशित किया गया था। बाद मौके पर तहसीलदार द्वारा अपने जवाब/भू.अ./952 दिनांक 17/3/17 को लिखा गया कि राजस्व प्रकरण 33/15 व 35/15 के निर्णय की पालना में सर्वे टीम गठित की गई। सर्वे टीम ने अपनी मौके कार्य पर बताया कि नजदीकी मुस्तकिल बिन्दु उपलब्ध नहीं है अन्य मुस्तकिल बिन्दुओं से सर्वे रकबों की सीमाओं का मिलान सही नहीं होता है। ग्राम [illegible] के ख.नं. 1975, 1975/6, 1978/2, 1946, 1946/2, 1967, तथा राजस्व देवगढ़ के ख.नं. 1849, 1975/1, एवं [illegible] के ख.नं. 1129/1, 933, 937, का सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी का कार्य भू प्रबन्ध विभाग की सर्वे टीम द्वारा करवाया जाना उचित रहेगा। दि: 15/3/17 को हाल पर प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश किया कि की तहसीलदार लोहावट द्वारा गठित टीम द्वारा सीमांकन करवाया गया जिसमें सीमाओं का मिलान व नजदीकी मुस्तकिल बिन्दु नहीं मिला है इसलिये भू प्रबन्ध विभाग की सर्वे टीम से सीमांकन करने का आदेश करावे। न्यायालय हाजा द्वारा अपने जवाब। नोट/17/378 दिनांक 11/4/17 को विवादित आराजी के ख.नं.	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करने हेतु निर्देशित करते हुए भू-प्रबन्ध अधिकारी जोधपुर को विवादित आराजी का अन्य विभाग की टीम उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। प्रार्थी के वकील श्री दिनांक 3/8/18 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण नम्बर 33/15 व 35/15 के विवादित ख.नं. की भूमियों का सीमांकन करने हेतु आदेश दिया गया है जिसमें दोनों पत्रावलियों का संयुक्त आदेश दिया गया। जिससे दोनों पत्रावलियों में रकबा बड़ा होने से सीमांकन संभव नहीं हो दोनों पत्रावलियों का अलग अलग आदेश प्रदान करावें। पत्रावली पर न्यायालय हाजा द्वारा पत्रांक/रीडर/18/817 दिनांक 14/8/18 द्वारा रा.अ.प्र. 35/15 के बाबत क्रमांक/रीडर/18/814 दिनांक 14/8/18 द्वारा प्रकरण 33/15 के मालिक निर्णय सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करने का आदेश दिया गया।
	कार्यालय भू-प्रबन्ध अधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 17/9/18 को अन्य मालिक मानपुरी गोस्वामी निरीक्षक व नायब तहसीलदार लोंहू भू-मापक को उक्त विवादित आराजी के सीमांकन हेतु निर्देशित किया गया है।
	उक्त आदेशों की पालना में तहसीलदार जैतारण के अपने पत्रांक/भू.अ./2018/2458 दिनांक 8/5/18 को प्रकरण सं. 33/15 अन्तर्गत हरिवंश राठौड़ बनाम तहसीलदार जैतारण के ग्राम खेड़ा देवगढ़ के ख.नं. 1849 रकबा 22-10 बीघा एवं ग्राम निमाज ॥ के ख.नं. 1567 रकबा 22-06 बीघा भूमि का मालिक निर्णय भू-प्रबन्ध विभाग जोधपुर की टीम के सहयोग से गठित सर्वेदल के टीम सदस्यों द्वारा समस्त पक्षकारान, सीमाज्ञान पास काश्तकारान काश्तकारान [illegible] मौका कार्यवाही की गई। उक्त मौका फर्द मूल की न्यायालय हाजा को प्रेषित की।
	यहां पर उल्लेखनीय है कि पूर्व न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार जैतारण को मालिक निर्णय विवादित भूमियों का मौके पर नापजोख कर सीमांकन/सीमाज्ञान काश्तकारान [illegible] पत्थरगढ़ी करने का आदेश दिया गया है। व उक्त प्रकरण में भू-प्रबन्ध विभाग की टीम के सहयोग से गठित सर्वेदल के टीम

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
जरिये द्वारा रकबा प्रकरणात सीमाज्ञान सरहदबन्द जारी मौका कर्द मय नजरी नक्शा तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश किया है जबकि माननीय निर्णय दिनांक 27/4/15 की पालना में मौके पर सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी की जानी थी। जो तहसीलदार जैतारण द्वारा नहीं गई है। अतः तहसीलदार जैतारण को उनके पत्रांक/भू.अ./10/2458 दिनांक 8/5/15 के तहत सीमाज्ञान कर कार्य मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तैयार की गई जिसकी प्रति भिजवाई जाकर आदेशित किया जाता है कि आप द्वारा उक्त भूमियात का जो मौके पर सीमाज्ञान किया है उसकी माननीय निर्णय दिनांक 27/4/15 की पालना में मौके पर पत्थरगढ़ी की जावे। मौके पर पत्थरगढ़ी कर पालना से न्यायालय हाजा को अवगत करावें। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर रिकार्ड/अभिलेखागार जावे हो। SDO	556 2-6-19